

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय से अब तक चल-अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष (31.12.2020)

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो:- श्री कमल मौर्य,
2. प्रथम नियुक्ति दिनांक/वर्तमान धारित पद :- दिनांक 11.03.2001, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दतिया।
3. जन्मतिथि:- 04.05.1973
4. वर्तमान वेतन:-1,13,404.00 अगली वेतन वृद्धि की तारीख :- दिनांक 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया.....खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम ईटायल तह0डबरा जिला ग्वालियर	—	02 वीघा 9 विश्वा सर्वे क्र. 1022 कृषि भूमि	रूपये 7,50,000—00 अनुमानित मूल्य	भाई ओमप्रकाश मौर्य एवं स्वयं के नाम से	पैतृक सम्पत्ति	रूपये 30,000—00	निल
प्रेमनगर कॉलोनी तह0 डबरा जिला ग्वालियर	45×15 वर्गफुट का मकान	आवासीय	रूपये 20,00,000—00 अनुमानित	भाई ओमप्रकाश मौर्य एवं स्वयं के नाम से	पैतृक सम्पत्ति	निल	निल

प्रेमनगर कॉलोनी तह0 डबरा जिला ग्वालियर	50×150 वर्गफुट का मकान	आवासीय	मूल्य रूपये 65,00,000 -00 अनुमानित मूल्य	भाई ओमप्रकाश मौर्य एवं स्वयं के नाम से	पैतृक सम्पत्ति	निल	निल
नेहरू नगर भोपाल	1040 वर्गफीट का फ्लैट	आवासीय	रूपये 65,00,000 -00 अनुमानित मूल्य	स्वयं के नाम से	कय किया गया है।	निल	निल

[Signature]
(कमल मौर्य)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
जिला दतिया(म0प्र0)

1. जहां लागू न हो उसे काट दीजिए
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो,
वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: म0प्र0शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली। उसके अपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हों।